# अनुयोगद्वारसूत्र और वैदिक व्याख्यान पद्धति की तुलना

कानजी भाई पटेल

वेदों में विचारों की पुनरुक्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति और पर्याय देकर समझाने के अतिरिक्त व्याख्यान का कोई अंश दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण और उपनिषदों में किसी एक विचार पर बल देने के लिए पुनरुक्ति, शब्दों का विश्लेषण, व्युत्पत्ति और उपमा आदि अलंकारों का स्थान है। दुर्ग के कथनानुसार यास्क द्वारा दी गई व्याख्यान-पद्धति में उद्देश, निर्देश और प्रतिनिर्देश का समावेश होता है। स्वयं दुर्ग ने तत्त्व पर्याय, भेद, संख्या, संदिग्ध, उदाहरण और निर्वचन—ये सात व्याख्यान-लक्षण गिनाए हैं। पतंजलि ने बताया है कि उदाहरण, प्रति-उदाहरण, और नए-नए वचनों का उन्मेष ही व्याख्यान है। वात्स्यायन ने उद्देश, लक्षण और परीक्षा इन तीन बातों को स्वीकार किया है। इन तीन के उपरान्त 'विभाग' भी एक अंग माना गया होगा। श्रीधर ने इस त्रैविध्य का प्रतिवाद करके शास्त्र-प्रवृत्ति को उद्देश-लक्षण रूप से द्विविध बताया है। अंत में तो पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य-योजना और पूर्वापर समाधान इन पाँच बातों को स्वीकार किया गया है।

वैदिक व्याख्यान पद्धति और अनुयोगद्वार सूचित व्याख्यान पद्धति में कुछ बातें समान हैं जैसे कि—व्याख्या में निरुक्त, व्याख्या में शास्त्र का प्रयोजन, सामान्य और विशेष व्याख्या, त्रिविध शास्त्र प्रवृत्ति, व्याख्यान के सात द्वार, भाषा, विभाषा, वार्तिक, व्याख्यायें शास्त्र का उल्लेख, उपक्रम का स्वरूप, अनुगम आदि।

अनुयोगद्वारसूत्र में समुदयार्थ और अवयवार्थ निरूपण की जो पद्धति मिलती है वह दुर्ग ने जिसे सामान्य और विशेष प्रकार की व्याख्या कही है, उसके अनुरूप है। निरुक्त में प्रारम्भ में निरुक्त के प्रयोजन की चर्चा है; अनुयोगद्वारसूत्र में अध्ययन शब्द के निक्षेप के प्रसंग में शास्त्र का प्रयोजन वर्णित है। वेद की व्याख्या में निरुक्त का जो स्थान है वैसा ही स्थान आगमिक व्याख्या में निर्युक्ति का है।

वात्स्यायन उद्योतकर, और जयंत ने शास्त्र के उद्देश, लक्षण और परीक्षा इस त्रिविध प्रवृत्ति का पक्ष स्थिर किया है उसमें तत्त्व उद्देश के समकक्ष है। स्वयं दुर्ग ने उद्देश, निर्देश और प्रतिनिर्देश का उल्लेख यास्क की व्याख्या शैली के संदर्भ में किया है। दुर्ग ने सूत्र, वृत्ति, और वार्तिक ऐसे जो क्रम बनाए हैं उसकी तुलना आचार्य जिनभद्र और आचार्य संघदास भाषा ( सूत्र ) की विभाषा ( वृत्ति ) और वार्तिक के साथ की जा सकती है।

अनुयोग में जिस अर्थ में उपक्रम शब्द का प्रयोग हुआ है वही अर्थ दुर्ग को भी मान्य है।

महाभाष्य के अनुसार उदाहरण, प्रत्युदाहरण और वाक्याध्याहार होने पर ही व्याख्यान होता है। व्याख्यान की यह परिभाषा आचार्य संघदासगणि और जिनभद्र की वार्तिक की व्याख्या जैसी है।

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org

अनुयोगद्वारसूत्र में जो अनुयोग द्वार है उसका तात्पर्य सूत्र के अर्थ का निर्णय करना है। निरुक्त में भी कहा गया है कि शास्त्र के शब्दों का अगर कोई गलत अर्थ करता है तो उसमें पुरुष का दोष है, शास्त्र का नहीं।

व्याख्यान के बारे में सही साम्य तो दोनों परम्परा में स्वीकृत अनुगम के पाँच और छः अंगों के बारे में है। वैदिक मंत्रों के जो पाठ पढ़ाए जाते हैं उसकी तुलना अनुयोगद्वार निर्दिष्ट अनुगम के साथ की जाये तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुगम पद्धति वैदिक धर्म में प्रचलित विधि जैसी ही है। दोनों पद्धतियों की तुलना इस तरह की जा सकती है।

| वैदिक | जैन |
|---|---|
| १. संहिता ( मंत्र पाठ ) | १ संहिता ( मूल पाठ ) |
| २. पदच्छेद ( जिसमें पद, क्रम, जटा आदि विविध आठ प्रकार की आनुपूर्वियों का समावेश होता है। | २ पद |
| ३. पदार्थ ज्ञान | ३ पदार्थ |
| ४. वाक्यार्थ ज्ञान | ४ पद विग्रह |
| ५. तात्पर्यार्थ निर्णय | ५ चालन |
| | ६ प्रत्ययस्थान ( प्रसिद्धि ) |

वैदिक परंपरा में मूल सूत्र को पहले शुद्ध और अस्खलित रूप से सिखाया जाता है। तदनन्तर उसके पदों का विश्लेषण और उसके बाद मीमांसा का प्रश्न आता है। इस तरह प्रथम पद का अर्थज्ञान, उसके बाद वाक्य का अर्थज्ञान और अंत में साधक-बाधक चर्चा से तात्पर्य का निर्णय किया जाता है। उसी प्रकार अनुयोगद्वार में अनुगम के छः अंग बनाए गए हैं।

●

शेठ एम० एन० सायन्स कालेज और श्री एन्ड श्रीमती पी० के० कोटावाला आर्ट्स कालेज, पाटन ( उ० गु० )

Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org